प्रेस नोट संख्या- 41

दिनांक 22.04.2025

सराहनीय कार्य थाना जामो पुलिस जनपद अमेठी

हत्या के अभियोग में वांछित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त 01 अदद बाका (आलाकत्ल) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-* दिनांक 21.04.2025 को प्रार्थी छोटेलाल कोरी पुत्र समई निवासी ग्राम अलप सिंह का पुरवा मजरे कल्याणपुर थाना जामो जनपद अमेठी द्वारा थाना जामो पर लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी के बेटे शिवम कुमार कोरी को रितेश सिंह के मुर्गी फार्म में विकास यादव उर्फ सूरज पुत्र बिहारी लाल व मान सिंह पुत्र भुलई सिंह निवासीगण अलप सिंह का पुरवा थाना जामो जनपद अमेठी व दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बेटे के गले व सिर पर धारदार हथियार से कई वार किये गये जिसे इलाज के लिये अस्पताल ले जाने पर मृत्यु हो गई। उक्त सूचना पर थाना जामो पर मु0अ0सं0 83/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)v SC/ST एक्ट बनाम मान सिंह, विकास यादव उर्फ सूरज व 02 अज्ञात पंजीकृत किया गया था। **पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक द्वारा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में दिनांक 21/22.04.2025 की रात्रि में क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा मय हमराही व प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह थाना जामो मय हमराही द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 83/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)v SC/ST एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्त 1.विकास कुमार यादव उर्फ सूरज पुत्र बिहारी लाल उम्र करीब 38 वर्ष, 2.मान सिंह पुत्र ओमकार बहादुर सिंह उर्फ भुलई उम्र 40 वर्ष निवासीगण पूरे अलप सिंह मजरे कल्याणपुर थाना जामो जनपद अमेठी को जोरावरपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

*पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त मान सिंह ने बताया कि शिवम कुमार कोरी (मृतक) ने मेरी पुत्री के साथ 07-08 माह पहले छेड़छाड़ किया था जिस संबंध में मेरे परिवारीजनों ने थाना जामो पर मुकदमा लिखवाया था। शिवम कुमार कोरी अभी भी मेरी पुत्री को आते जाते परेशान करता था जिससे मेरी मोहल्ले में बहुत बदनामी होने लगी तभी मैंने अपने साथी विकास कुमार यादव उर्फ सूरज से मदद मांगी तथा योजना बनाया कि शिवम कुमार कोरी को रितेश के मुर्गी फार्म पर ले जाकर शराब पिलाओ जब ज्यादा नशे में हो जाये तब मुझे बता देना। योजना के अनुसार दिनांक 21.04.2025 को विकास कुमार यादव उर्फ सूरज ने बताया कि आज शिवम कुमार कोरी को रितेश के मुर्गी फार्म पर ले जाकर शराब पिलाऊंगा जब नशे में हो जायेगा तो मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। पूर्वयोजित तरीके से विकास कुमार यादव उर्फ सूरज ने शिवम कुमार कोरी को रितेश कुमार के मुर्गी फार्म पर शराब पिलाया जब शिवम कुमार कोरी खूब नशे में होकर अन्दर पड़े तखत पर लेट गया तब मुझे सूचना दे दी। तभी मैं रवि के मुर्गी फार्म से जहा मैं नौकरी करता हूं जो रितेश के मुर्गी फार्म के बगल में है वहां से बाका लेकर रितेश के मुर्गी फार्म के अन्दर आया और शिवम कुमार कोरी पर कई वार कर घायल कर दिया और मृत जानकर मैं वहां से भाग गया। अभियुक्त मान सिंह की निशानदेही पर मुर्गी फार्म के बगल कुआं के पास झाड़ी से हत्या में प्रयुक्त 01 अदद बाका (आलाकत्ल) बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 61(2) की बढ़ोतरी करते हुए थाना जामो पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. विकास कुमार यादव उर्फ सूरज पुत्र बिहारी लाल निवासी पूरे अलप सिंह मजरे कल्याणपुर थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 38 वर्ष।
2. मान सिंह पुत्र ओमकार बहादुर सिंह उर्फ भुलई निवासी पूरे अलप सिंह मजरे कल्याणपुर थाना जामो जनपद अमेठी उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी-

- 01 अदद बाका (आलाकत्ल)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 83/25 धारा 103(1), 61(2) बीएनएस व 3(2)v SC/ST एक्ट थाना जामो जनपद अमेठी।

पुलिस टीम-

1. क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा जनपद अमेठी।
2. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह जामो जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 हवलदार यादव थाना जामो जनपद अमेठी।
4. उ0नि0 दिवाकर थाना जामो जनपद अमेठी।
5. हे0का0 अनीश कुमार तिवारी थाना जामो जनपद अमेठी।
6. का0 राजकुमार हमराह क्षेत्राधिकारी गौरीगंज जनपद अमेठी।
7. का0 नवनीत कुमार थाना जामो जनपद अमेठी।
8. का0 सुनील कुमार थाना जामो जनपद अमेठी।
9. का0 अरूण कुमार थाना जामो जनपद अमेठी।